नगर परिषद चैम्बर्स
3300 Capitol Avenue
Fremont, California

फ्रीमॉन्ट नगर परिषद

लिली मेअ, मेयर

रिक जोंस, उप-मेयर

विन्नी बेकन

राज सलवान

डेविड बोनाकोर्सी

शहरी स्टॉफ

फ्रेड डियाज़, शहरी प्रबंधक

हार्वे ई. लैवाइन, शहरी वकील

जैसिका वॉन बोर्क, सहायक शहरी प्रबंधक

मर्लिन क्रेन, जानकारी तकनीशियन सेवा निदेशक

सूजन गौथियर, शहरी क्लर्क

कैली क्लाइन, आर्थिक विकास निदेशक

हैंस लारसेन, लोक निर्माण निदेशक

जोफ़ लार्टेंड्रिसी, फायर चीफ

रिचर्ड लूसेरो, पुलिस प्रमुख

डेविड परसेलिन, वित्तीय निदेशक

जैफ़ शवॉब, सामुदायिक विकास निदेशक

करीना शैकलफोर्ड, सहायक शहरी प्रबंधक

फ्रीमॉन्ट नगर परिषद
एजेंडा और रिपोर्ट

13 जून 2017

व्यवसाय का सामान्य क्रम

1. प्रारंभिक
    - बैठक की शुरुआत करना
    - झंडे को सलामी देना
    - हाज़िरी
2. सहमति कैलेंडर
3. समारोह मदें
4. सार्वजनिक संचार
5. निर्धारित मदें
    - सार्वजनिक सुनवाईयाँ
    - अपीलें
    - कमिश्नों, बोर्ड और कमेटियों से रिपोर्टें
6. शहरी वकील से रिपोर्ट
7. अन्य व्यवसाय
8. समिति के संचार
9. स्थगन

विचार-विमर्श का क्रम

आम तौर पर, मेयर द्वारा किसी मद की शुरूआत के बाद चर्चा के क्रम में शहरी परिषद के प्रश्न और पूछताछ के बाद कर्मचारियों द्वारा टिप्पणियाँ और सूचना शामिल होगी। आवेदक, या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, या रुचि रखने वाले नागरिक, फिर उस मद पर बोलेंगे; प्रत्येक वक्ता हरेक मद पर केवल एक बार बोल सकता है। सार्वजनिक विचार-विमर्श के समाप्त होने पर, उस मद पर शहरी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। एजेंडा पर की मदों को सूचीबद्ध क्रम से बदला जा सकता है।

सहमति कैलेंडर

सहमति कैलेंडर की मदों को शहरी परिषद द्वारा नियमित माना जाता है और इसे एक प्रस्ताव और एक वोट द्वारा अधिनियमित किया जाएगा। इन मदों पर कोई अलग चर्चा नहीं होगी, जब तक कोई भी परिषद सदस्य या नागरिक ऐसा अनुरोध न करे, तो उस मामले में मद को सहमति कैलेंडर से

पुनर्नवीनीकरण पेपर पर मुद्रित

पिछला हिस्सा देखें

परिषद को संबोधित करना

मेयर द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति नगर परिषद द्वारा विचार-विमर्श के तहत किसी भी मद पर एक बार बोल सकता है। स्पीकर कार्ड बैठक से पहले और के दौरान उपलब्ध होंगे। नगर परिषद को संबोधित करने के लिए, एक कार्ड को शहरी क्लर्क के पास सबमिट किया जाना ज़रूरी है जिस पर नाम, पता, और उस मद की संख्या लिखी होनी चाहिए जिस पर वह व्यक्ति बोलना चाहता है। नगर परिषद को संबोधित करते समय, कृपया नगर परिषद के आगे के भाग की ओर स्थित भाषण-मंच तक चलकर आएँ। अपना नाम बताएँ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी व्यक्तियों को बोलने का मौका मिले, मेयर द्वारा प्रत्येक वक्ता के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी (स्पीकर कार्ड पर दिये निर्देश देखें)। समय के हित में, प्रत्येक वक्ता केवल प्रत्येक व्यक्तिगत एजेंडा मद पर केवल एक बार बोल सकता है; कृपया अपनी टिप्पणी को नई सामग्री पर सीमित रखें; एक पूर्व वक्ता ने क्या कहा है उसे दोहराएँ नहीं।

मौखिक संचार

कोई भी व्यक्ति जो उस विषय पर बात करने की इच्छा रखता है जो इस एजेंडे में निर्धारित नहीं है, तो यह लोक संचार के मौखिक संचार सेक्शन के तहत किया जा सकता है। कृपया अपना स्पीकर कार्ड मौखिक संचार की शुरुआत से पहले शहरी क्लर्क को सबमिट करें। **जिन लोगों ने मौखिक संचार की शुरुआत से पहले कार्ड जमा किए हैं, केवल उन्हें बोलने की अनुमति दी जाएगी।** कृपया ध्यान रखें कि कैलिफोर्निया सरकारी संहिता नगर परिषद को किसी ऐसी मद पर कोई तत्काल कार्रवाई करने पर रोक लगाती है जो एजेंडा पर ना हो, जब तक कि वह मद कड़ी क़ानूनी आवश्यकताओं को पूरा न करती हो। मेयर आपकी प्रस्तुतिकरण की लम्बाई को सीमित करेगा (स्पीकर कार्ड पर निर्देश देखें) और प्रत्येक वक्ता प्रत्येक एजेंडा मद पर केवल एक बार ही बोल सकता है।

नगर परिषद एजेंडों को कम्प्यूटर द्वारा अग्रांकित वर्ल्ड वाइड वेब पते से पहुंचा जा सकता है: www.fremont.gov.

जानकारी

एजेंडा और रिपोर्ट की प्रतियाँ फ्रीमॉन्ट सिटी हॉल की लॉबियों में, 3300 कैपिटल एवेन्यू और विकास सेवा केन्द्र, 39550 लिबर्टी स्ट्रीट पर एक नियमित निर्धारित नगर परिषद की बैठक से पहले वाले शुक्रवार पर उपलब्ध होती है। विशिष्ट कार्यसूची वस्तुओं से संबंधित पूरक दस्तावेज शहरी क्लर्क के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

फ्रीमॉन्ट सिटी काउंसिल की नियमित बैठकें केबल टेलीविजन चैनल 27 पर प्रसारित की जाती हैं और हमारी वेबसाइट पर वेबकास्ट के माध्यम से देखी जा सकती हैं (www.Fremont.gov)।

1990 के अमेरिकन विद डिसएबिल्टीज़ अधिनियम के अनुपालन में उन लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें विकलांगता के लिए समायोजनों की जरूरत होगी। (510) 284-4060 पर शहरी क्लर्क से संपर्क करके इच्छुक व्यक्तियों को बैठक से कम से कम 2 कार्य दिवस पहले समायोजन के लिए अनुरोध करना चाहिए। परिषद के मंडलों में बधिरों के लिए नगर परिषद की बैठकें *ओपन कैप्शन्ड* है और घर पर देखने के लिए *क्लोज़्ड कैप्शन्ड* है।

सार्वजनिक रिकॉर्डों की उपलब्धता

एक एजेंडा पर एक खुले सत्र वाली मद से संबंधित सभी खुलासे योग्य सार्वजनिक रिकॉर्ड, जो कि शहर द्वारा सभी या अधिकांश नगर परिषद को मीटिंग से पहले 72 घंटे से कम समय में वितरित किए जाते हैं, वे फ्रीमॉन्ट सिटी हॉल, 3300 कैपिटल एवेन्यू की लॉबी में स्थित विशेष रूप से लेबल वाले बाइंडरों में, सामान्य कारोबारी घंटों के दौरान, उस समय जब रिकॉर्ड नगर परिषद को वितरित किये जाते हैं, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

सिटी या एजेंडा और रिपोर्ट पर निर्धारित मदों के बारे में जानकारी को निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:

पता: सिटी क्लर्क
सिटी ऑफ फ्रीमॉन्ट

3300 कैपिटल एवेन्यू
फ्रीमॉन्ट, कैलिफोर्निया 94538

टेलीफोन: (510) 284-4060

आपकी सिटी के व्यवसाय में आपकी रुचि की सराहना की जाती है।

कार्यसूची
फ्रीमॉन्ट नगर परिषद की नियमित बैठक
13 जून 2017
परिषद के चैम्बर, 3300 कैपिटल एवेन्यू, इमारत A
शाम 07:00 बजे

1. प्रारंभिक

A. बैठक की शुरुआत करना

B. झंडे को सलामी देना

C. हाज़िरी

ड. मेयर / शहरी प्रबंधक द्वारा घोषणाएँ

2. सहमति कैलेंडर

सहमति कैलेंडर की मदों को शहरी परिषद द्वारा नियमित माना जाता है और इसे एक प्रस्ताव और एक वोट द्वारा अधिनियमित किया जाएगा। इन मदों पर कोई अलग चर्चा नहीं होगी, जब तक कोई भी परिषद सदस्य या नागरिक ऐसा अनुरोध न करे, तो उस मामले में मद को सहमति कैलेंडर से हटा दिया जाएगा और अलग माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, विरोध में "नगर परिषद को संबोधित करने के लिए अनुरोध" कार्ड के बिना अन्य मदों को सहमति कैलेंडर में जोड़ा जा सकते है। शहरी वकील अपनाए जाने वाले नियमों का शीर्षक पढ़ेगा।

A. ***प्रस्तावित अध्यादेशों को आगे पढ़ने से छूट देने के लिए मोशन***
(यह पूरे पाठ को पढ़ने की बजाय केवल शीर्षक को पढ़ने की अनुमति देता है।)

B. ***मिनट्स (कार्यवृत्त) का अनुमोदन*** *– कोई नहीं।*

C. ***एक ज़िला-वार चुनाव प्रक्रिया स्थापित करने और अन्य अनुरूपी तथा तकनीकी परिवर्तन करने के लिए फ्रीमॉन्ट नगरपालिका संहिता के चुनाव संबंधी अध्याय 2.05 में संशोधन करने वाले सिटी ऑफ फ्रीमॉन्ट के एक अध्यादेश की दूसरी रीडिंग और उसे अपनाना***

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	*जैसिका वॉन बोर्क*	*सूजन गौथियर*
पदनाम:	*सहायक शहरी प्रबंधक*	*सिटी क्लर्क*
विभाग:	*शहरी प्रबंधक का कार्यालय*	*शहरी क्लर्क का कार्यालय*
फोन:	*510-248-4008*	*510-284-4076*
ई-मेल:	*jvborck@fremont.gov*	*sgauthier@fremont.gov*

सिफारिशें: *अध्यादेश को अपनाना*

ड. ***शहर नेटवर्क उपकरणों का उन्नयन - आईटी मैनजमेंट कॉर्पोरेशन को संबंधित हार्डवेयर समर्थन के साथ सिस्को नेटवर्क उपकरण की खरीद के लिए 222,725 डॉलर की राशि में खरीद आदेश जारी करने के लिए शहरी प्रबंधक या नामित व्यक्ति को प्राधिकृत करना***

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	*मर्लिन जे. क्रेन*
पदनाम:	*निदेशक*
विभाग:	*सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ*
फोन:	*510-494-4802*
ई-मेल:	*mcrane@fremont.gov*

सिफारिशें: *आईटी मैनजमेंट कॉर्पोरेशन को सिस्को नेटवर्क उपकरण की खरीद के लिए और तीन साल के स्पोर्ट के लिए $222,725 डॉलर की राशि (लागू होने वाले बिक्री कर सहित) में खरीद आदेश जारी करने, और किसी भी लागू होने वाले दस्तावेजों को निष्पादित करने और आवश्यक क्रियान्वयन के रूप में आवश्यक कार्रवाईयाँ करने के लिए शहरी प्रबंधक या नामित व्यक्ति को प्राधिकृत करना।*

E. ***ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान फ्रेमवर्क - नगरपालिका क्षेत्रीय बाढ़ के पानी के परमिट द्वारा आवश्यक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान फ्रेमवर्क के लिए क्षेत्रीय टेम्पलेट का उपयोग स्वीकृत करना***

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	*डेविड स्वार्टज़*	*कैथलीन कोटे-गुआरनिऐरी*
पदनाम:	*पर्यावरण विशेषज्ञ II*	*पर्यावरण संबंधी सेवा प्रबंधक*
विभाग:	*पर्यावरण संबंधी सेवाएँ*	*सामुदायिक सेवाएँ*
फोन:	*510-494-4587*	*510-494-4583*
ई-मेल:	*dswartz@fremont.gov*	*kcote@fremont.gov*

सिफारिशें: *स्टॉफ सिफारिश करता है कि नगर परिषद स्टॉफ रिपोर्ट के अनुसार फ्रीमॉन्ट के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान फ्रेमवर्क को अपनाने के प्रस्ताव को अनुमोदित करें।*

F. ***ऐरियल बकेट ट्रक की खरीद - एक ऐलटेक AT37G ऐरियल बकेट ट्रक की खरीद के लिए ऐलटेक इंडस्ट्रीज़ के साथ एक क्रय आदेश समझौते को अनुमोदित करना, जिसकी राशि $119,718 से अधिक नहीं हो सकती। दिशा-निर्देश 15061 के अनुसार CEQA समीक्षा से छूट।***

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	*मार्क कौलिंस*	*हैंस लारसेन*
पदनाम:	*फ्लीट रखरखाव प्रबंधक*	*लोक निर्माण निदेशक*
विभाग:	*रखरखाव*	*लोक निर्माण*

फोन:	*510-979-5739*	*510-494-4722*
ई-मेल:	*mcollins@fremont.gov*	*hlarsen@fremont.gov*

सिफारिशें: *एक ऐलटेक AT37G ऐरियल बकेट ट्रक की खरीद के लिए ऐलटेक इंडस्ट्रीज़ के साथ एक क्रय आदेश के निष्पादन के लिए शहरी प्रबंधक या नामित व्यक्ति को प्राधिकृत करना, जिसकी राशि $119,718 से अधिक नहीं हो सकती।*

G. ईस्ट बे प्रादेशिक संचार प्रणाली प्राधिकरण (EBRCSA) रेडियो सर्विसेज - EBRCSA सार्वजनिक सुरक्षा रेडियो संचार प्रणाली के इस्तेमाल के लिए $273,000 डॉलर की राशि में वित्तीय वर्ष 2017/18 वार्षिक परिचालन भुगतान के लिए एक खरीद आदेश जारी करने और लागू करने वाले दस्तावेज़ों को कार्यान्वित करने के लिए शहरी प्रबंधक या नामित व्यक्ति को प्राधिकृत करना।

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	*मर्लिन जे. क्रेन*
पदनाम:	*निदेशक*
विभाग:	*सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ*
फोन:	*510-494-4802*
ई-मेल:	*mcrane@fremont.gov*

सिफारिशें:

1. *ईस्ट बे प्रादेशिक संचार प्रणाली प्राधिकरण (EBRCSA) को EBRCSA सार्वजनिक सुरक्षा रेडियो संचार प्रणाली के इस्तेमाल के लिए $273,000 डॉलर की राशि में एक खरीद आदेश जारी करने और 01 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक की एक साल की अवधि के लिए वार्षिक संचालन भुगतान के लिए कार्यान्वयन दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए शहरी प्रबंधक या नामित व्यक्ति को प्राधिकृत करना।*
2. *शहरी प्रबंधक या नामित व्यक्ति को ईस्ट बे प्रादेशिक संचार प्रणाली प्राधिकरण के साथ दो अतिरिक्त एक-वर्षीय अवधियों के लिए वार्षिक संचालन भुगतान का नवीनीकरण करने के लिए प्राधिकृत करना जिसमें राशि को पिछले साल की लागतों से पांच प्रतिशत (5%) से अधिक नहीं हो सकती।*

H. चाबोट-लास पॉजिटस कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट एग्रीमेंट फॉर पेग एक्सेस प्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग - तीन साल तक $150,000 डॉलर प्रति वर्ष की दर से PEG एक्सेस उत्पादन और प्रोग्रामिंग के बारे में चाबोट-लास पॉजिटस कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के साथ एक समझौता निष्पादित करने के लिए शहरी प्रबंधक या नामित व्यक्ति को प्राधिकृत करना।

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	*करीना शैकलफोर्ड*	*मर्लिन जे. क्रेन*
पदनाम:	*सहायक शहरी प्रबंधक*	*निदेशक*
विभाग:	*शहरी प्रबंधक का कार्यालय*	*सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ*
फोन:	*510-284-4063*	*510-494-4802*

ई-मेल:	*kshackelford@fremont.gov*	*mcrane@fremont.gov*

सिफारिशें:

1. *$450,000 की राशि की यथोचित व्यवस्था करना और फंड 502PWC8857 में हस्तांतरित करना।*
2. *PEG एक्सेस उत्पादन और प्रोग्रामिंग सेवाओं के लिए चाबोट-लास पॉजिटस कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के साथ एक समझौता निष्पादित करने के लिए शहरी प्रबंधक या नामित व्यक्ति को प्राधिकृत करना, जिसकी राशि बारह महीने की अवधि के लिए 30 जून 2018 तक $1,50,000 होगी, और कुल अनुबंध राशि के लिए $450,000 डॉलर के लिए दो अतिरिक्त एक साल की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का विकल्प होगा।*

I. TRACT 8288 - आर्डेनवुड बुलेवार्ड और पैसियो पाद्रे पार्कवे (पैटरसन रैंच) के पूर्वोत्तर चतुर्य भाग में स्थित ट्रैक्ट 8288 के लिए अंतिम नक्शे का अनुमोदन, स्थानीय सड़क सुधारों के निर्माण के लिए समझौते और निजी आम क्षेत्र के सुधार और भूमि और सार्वजनिक सुविधाओं के समर्पण के लिए अनुमोदन

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	*कैन ज़ू*	*हैंस लारसेन*
पदनाम:	*सहायक सिविल इंजीनियर*	*लोक निर्माण निदेशक*
विभाग:	*लोक निर्माण*	*लोक निर्माण*
फोन:	*510-494-4714*	*510-494-4722*
ई-मेल:	*kxu@fremont.gov*	*hlarsen@fremont.gov*

सिफारिशें: *निम्न के लिए प्रस्ताव को अपनाना:*

1. *ट्रैक्ट 8288 के लिए अंतिम नक्शे और सुधार योजनाओं का अनुमोदन करें।*
2. *"सार्वजनिक सुधार समझौता, ट्रैक्ट 8288" नामक सार्वजनिक सुधारों के लिए डेवलपर, फ्रीमॉन्ट पैट रैंच, एलएलसी के साथ समझौते को अनुमोदित करें और सिटी की ओर से समझौते को निष्पादित करने के लिए शहरी प्रबंधक को प्राधिकृत करें।*
3. *"निजी सुधार समझौता, ट्रैक्ट 8288" नामक निजी सुधारों के लिए डेवलपर, फ्रीमॉन्ट पैट रैंच, एलएलसी के साथ समझौते को अनुमोदित करें और सिटी की ओर से समझौते को निष्पादित करने के लिए शहरी प्रबंधक को प्राधिकृत करें।*
4. *डेवलपर की वास्तविक संपत्ति के हितों के समर्पण के प्रस्ताव को स्वीकार करें, जैसा कि अंतिम नक्शे पर पहचाना गया है, बशर्ते कि किसी भी संपत्ति की स्वीकृति, जिस पर डेवलपर का सार्वजनिक सुधारों के निर्माण करना आवश्यक है, वह शहरी अभियंता की संतुष्टि के लिए डेवलपर के सुधार के पूरा होने पर शर्ताधीन होगा।*

J. 12 पोर्टेबल 20-फीट वाहन बैरीकेड्स (PWC 8520) के लिए डेल्टा साइंटिफिक इंक के साथ खरीद अनुबंध अवार्ड करना - डेल्टा साइंटिफिक इंक से 12 20-फीट वाले पोर्टेबल वाहन बैरीकेड्स खरीदने के लिए PWC 8520 से $543,330.20 को आबंटित करना एवं व्यवस्थित करना।

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	*क्लिफ़ न्गुयेन*	*रिचर्ड लुसेरो*
पदनाम:	*शहरी प्रस्ताव मैनेजर*	*पुलिस चीफ*
विभाग:	*शहरी प्रबंधक का कार्यालय*	*पुलिस विभाग*
फोन:	*510-284-4017*	*510-790-6818*
ई-मेल:	*cnguyen@fremont.gov*	*rlucero@fremont.gov*

सिफारिशें:

1. *डेल्टा साइंटिफिक इंक से बारह (12) 20-फीट वाले पोर्टेबल वाहन बैरीकेड्स खरीदने के लिए PWC 8520 (डाउनटाउन फंड) से कुल $543,330.20राशि आबंटित करने के लिए प्राधिकृत करें।*
2. *एक व्यापक, स्थायी डाउनटाउन बैरीकेडिंग प्लान के लिए सिफारिशे करने के लिए स्टॉफ को एक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने के लिए निर्देशित करें।*

3. समारोह मदें – कोई नहीं।

4. सार्वजनिक संचार

A. मौखिक और लिखित संचार

औद्योगिक विकास प्राधिकरण – कोई नहीं।

सार्वजनिक वित्त प्राधिकरण – कोई नहीं।

सहमति कैलेंडर से हटाई गई मदों पर विचार करना

5. निर्धारित मदें

A. फ्रीमॉन्ट लैंडस्केपिंग आकलन ज़िला 88 - सार्वजनिक सुनवाई (नोटिस प्रकाशित किया गया और पोस्ट किया गया) भूनिर्माण आकलन जिला 88 के लिए वार्षिक आकलन की लेवी पर और राजकोषीय वर्ष 2017/2018 के लिए जिला 88 के लिए आरेख और आकलन की पुष्टि करने वाले एक संकल्प को अपनाना।

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	सुजैन वोल्फ
पदनाम:	सामुदायिक सेवाओं की निदेशक
विभाग:	पार्क
फोन:	510-494-4329
ई-मेल:	swolf@fremont.gov

सिफारिशें:

1. सार्वजनिक सुनवाई की शुरुआत करें।
2. सभी मौखिक कथन और लिखित प्रतिवादों पर विचार करें।
3. सार्वजनिक सुनवाई बंद करें।
4. फ्रीमॉन्ट भूनिर्माण आकलन जिला 88 के लिए वित्तीय वर्ष 2017/18 के लिए आरेखों और आकलनों की पुष्टि करने वाले एक संकल्प को अपनाने के द्वारा प्रस्तावित आकलन लगाना।

B. दूसरी सार्वजनिक सुनवाई और वित्तीय वर्ष 2017/18 के परिचालन बजट और विनियोग सीमा - दूसरी सार्वजनिक सुनवाई (नोटिस प्रकाशित किया गया) और वित्तीय वर्ष 2017/18 के परिचालन बजट और विनियोग सीमा को अपनाना

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	माइक सुंग	डेविड परसेलिन
पदनाम:	उप वित्तीय निदेशक	वित्तीय निदेशक
विभाग:	वित्तीय विभाग	वित्तीय विभाग
फोन:	510-494-4608	510-494-4631
ई-मेल:	msung@fremont.gov	dpersselin@fremont.gov

सिफारिशें:
1. और वित्तीय वर्ष 2017/18 के परिचालन बजट और विनियोग सीमा पर एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करना।
2. सिटी ऑफ फ्रीमॉन्ट के वित्तीय वर्ष 2017/18 के परिचालन बजट को अनुमोदित करने वाले एक संकल्प को अपनाना।
3. वित्तीय वर्ष 2017/18 के लिए $675,413,206 की विनियोग सीमा बनाने के लिए एक संकल्प अपनाना।

C. राजधानी सुधार कार्यक्रम - दूसरी सार्वजनिक सुनवाई (प्रकाशित सूचना) और वित्तीय वर्ष 2017/18 - 2021/22 पूंजी सुधार कार्यक्रम (CIP) के अंगीकरण पर विचार करना

सम्पर्क व्यक्ति:

नाम:	मिशेल सिल्वा-सलीनास	हैंस लारसेन
पदनाम:	व्यवसाय प्रबंधक	लोक निर्माण निदेशक
विभाग:	लोक निर्माण	लोक निर्माण
फोन:	510-979-5705	510-494-4722
ई-मेल:	msilva-salinas@fremont.gov	hlarsen@fremont.gov

सिफारिशें:
1. पांच वर्षीय वित्तीय वर्ष 2017/18 - 2021/22 राजधानी सुधार कार्यक्रम पर एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करना।
2. निधि स्रोतों के फंडिंग स्रोतों से प्रस्तावित धन राशि की पहचान करने और सभी पांच वर्षों के लिए उपयोग

रिपोर्ट सहित, वित्तीय वर्ष 2017/18 - 2021/22 CIP को अनुमोदित करने के लिए एक संकल्प को अपनाना, 1 जुलाई, 2017 को वित्त वर्ष 2017/18 के लिए विनियोग के साथ और 1 जुलाई 2018 1 9 2018 के लिए वित्त वर्ष 2018/19 के लिए विनियोग करना।

3. 1 जुलाई 2017 को, निधि स्रोत और उपयोग रिपोर्ट में सूचीबद्ध विकास केंद्र HVAC/छत को बदलने और विकास केन्द्र के कालीन प्रतिस्थापन परियोजनाओं में इस CIP में विनियोग के लिए 502 को निधिगत करने के लिए निधि 392 विकास लागत केंद्र रिज़र्व से आबंटित न किये गये फंड बैलेंस से 2.5 मिलियन डॉलर का हस्तांतरण करने को प्राधिकृत करें।
4. परिवर्तित परिस्थितियों के जवाब में इन निधियों के विनियोजन के समय को तेज़ करने या स्थगित करने की अनुमति देने के लिए शहरी प्रबंधक को समय समायोजित करने के लिए अधिकृत करें, लेकिन नगर परिषद द्वारा अनुमोदित विनियोगों की राशि को नहीं।
5. शहरी प्रबंधक को पूंजी सुधार कार्यक्रम लागत और दायरा आकस्मिकता (PWC8101) और आवश्यक रूप से उभरते प्रोजेक्ट रिजर्व (PWC7101) से प्रोजेक्ट को $50,000 तक की राशि को स्थानांतरित करने के लिए प्राधिकृत करें।

6. **शहरी वकील से रिपोर्ट** – कोई नहीं।

7. **अन्य व्यवसाय** – कोई नहीं।

8. **परिषद के संचार**

A. **परिषद के रैफरल** - कोई नहीं।

B. **बैठकों और कार्यक्रमों पर मौखिक रिपोर्टें**

9. **स्थगन**

ACRONYMS

ABAG	Association of Bay Area Governments
ACE	Altamont Commuter Express
ACFCD	Alameda County Flood Control District
ACTC	Alameda County Transportation Commission
ACWD	Alameda County Water District
ARB	Art Review Board
BAAQMD	Bay Area Air Quality Management District
BART	Bay Area Rapid Transit District
BCDC	Bay Conservation & Development Commission
BMPs	Best Management Practices
BMR	Below Market Rate
CALPERS	California Public Employees' Retirement System
CBC	California Building Code
CDD	Community Development Department
CC & R's	Covenants, Conditions & Restrictions
CDBG	Community Development Block Grant
CEQA	California Environmental Quality Act
CERT	Community Emergency Response Team
CIP	Capital Improvement Program
CNG	Compressed Natural Gas
COF	City of Fremont
COPPS	Community Oriented Policing and Public Safety
CSAC	California State Association of Counties
CTC	California Transportation Commission
dB	Decibel
DEIR	Draft Environmental Impact Report
DU/AC	Dwelling Units per Acre
EBRPD	East Bay Regional Park District
EDAC	Economic Development Advisory Commission (City)
EIR	Environmental Impact Report (CEQA)
EIS	Environmental Impact Statement (NEPA)
ERAF	Education Revenue Augmentation Fund
EVAW	Emergency Vehicle Accessway
FAR	Floor Area Ratio
FEMA	Federal Emergency Management Agency
FFD	Fremont Fire Department
FMC	Fremont Municipal Code
FPD	Fremont Police Department
FRC	Family Resource Center
FUSD	Fremont Unified School District
GIS	Geographic Information System
GPA	General Plan Amendment
HARB	Historical Architectural Review Board
HBA	Home Builders Association
HRC	Human Relations Commission
ICMA	International City/County Management Association
JPA	Joint Powers Authority
LLMD	Lighting and Landscaping Maintenance District
LOCC	League of California Cities
LOS	Level of Service
MOU	Memorandum of Understanding
MTC	Metropolitan Transportation Commission
NEPA	National Environmental Policy Act
NLC	National League of Cities
NPDES	National Pollutant Discharge Elimination System
NPO	Neighborhood Preservation Ordinance
PC	Planning Commission
PD	Planned District
PDA	Priority Development Area
PUC	Public Utilities Commission
PVAW	Private Vehicle Accessway
PWC	Public Works Contract
RFP	Request for Proposals
RFQ	Request for Qualifications
RHNA	Regional Housing Needs Allocation
ROP	Regional Occupational Program
RRIDRO	Residential Rent Increase Dispute Resolution Ordinance
RWQCB	Regional Water Quality Control Board
SACNET	Southern Alameda County Narcotics Enforcement Task Force
STIP	State Transportation Improvement Program
TCRDF	Tri-Cities Recycling and Disposal Facility
TOD	Transit Oriented Development
TS/MRF	Transfer Station/Materials Recovery Facility
UBC	See CBC
VTA	Santa Clara Valley Transportation Authority
WMA	Waste Management Authority
ZA	Zoning Administrator
ZTA	Zoning Text Amendment

आने वाली बैठक और चैनल 27 ब्रॉडकास्ट समय-सारणी				
तारीख	*समय*	*बैठक की किस्म*	*स्थान*	*केबल चैनल 27*
20 जून 2017	शाम 07:00 बजे	नगर परिषद बैठक	परिषद चैम्बर्स	लाइव
27 जून 2017		कोई परिषद बैठक नहीं		
04 जुलाई 2017		*छुट्टी - कोई परिषद बैठक नहीं*		
11 जुलाई 2017	शाम 07:00 बजे	नगर परिषद बैठक	परिषद चैम्बर्स	लाइव
18 जुलाई 2017	शाम 07:00 बजे	नगर परिषद बैठक	परिषद चैम्बर्स	लाइव
25 जुलाई 2017		कोई परिषद बैठक नहीं		
अगस्त की छुट्टी		*कोई परिषद बैठक नहीं*		
05 सितम्बर 2017	शाम 07:00 बजे	नगर परिषद बैठक	परिषद चैम्बर्स	लाइव
12 सितम्बर 2017	शाम 07:00 बजे	नगर परिषद बैठक	परिषद चैम्बर्स	लाइव
19 सितम्बर 2017	शाम 07:00 बजे	नगर परिषद बैठक	परिषद चैम्बर्स	लाइव
26 सितम्बर 2017		कोई परिषद बैठक नहीं		
सोमवार, 02 अक्तूबर 2017	शाम 05:30 बजे	संयुक्त परिषद/FUSD बैठक	*FUSD*	लाइव
03 अक्तूबर 2017	शाम 07:00 बजे	नगर परिषद बैठक	परिषद चैम्बर्स	लाइव
10 अक्तूबर 2017	शाम 07:00 बजे	नगर परिषद बैठक	परिषद चैम्बर्स	लाइव
17 अक्तूबर 2017	शाम 07:00 बजे	नगर परिषद बैठक	परिषद चैम्बर्स	लाइव
24 अक्तूबर 2017		कोई परिषद बैठक नहीं		
31 अक्तूबर 2017		कोई परिषद बैठक नहीं		

नक्शा C-2b के लिए मसौदा

अध्यादेश संख्या <u>XX-2017</u>

एक ज़िला-वार चुनाव प्रक्रिया स्थापित करने के लिए फ्रीमोंट नगरपालिका संहिता के चुनाव संबंधी अध्याय 2.05 में संशोधन करते हुए फ्रीमोंट नगर का एक अध्यादेश और अन्य अनुरूपी तथा तकनीकी परिवर्तन करने के लिए अध्याय 2.05 में संशोधन

जबकि फ्रीमोंट शहर (City of Fremont) नगर परिषद (City Council) के सदस्यों के चुनाव में सभी निवासियों की पूर्ण भागीदारी का समर्थन करता है; और

जबकि 1977 में मतदाताओं के प्रयास, उपाय A और 1996 में मतदाताओं द्वारा संशोधित उपाय AA के अनुसरण में फ्रीमोंट नगर वर्तमान में व्यापक चुनाव प्रणाली का प्रयोग करते हुए अपने चार नगर परिषद सदस्यों का चुनाव करता है जिनके साथ मेयर का चुनाव अलग से किया जाता है जो कि नगर परिषद का सदस्य भी होता है; और

जबकि व्यापक चुनाव प्रणाली में उम्मीदवार नगर के किसी भी हिस्से के निवासी हो सकते हैं और प्रत्येक नगर परिषद सदस्य का चुनाव पूरे नगर के मतदाताओं द्वारा किया जाता है; और

जबकि ज़िला-वार चुनाव प्रणाली में नगर परिषद के चुनाव के उम्मीदवार का उस ज़िले का निवासी होना अनिवार्य है जिसका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है अथवा चाहती है और केवल उस ज़िले के मतदाता यह निर्णय करने के लिए मतदान के हकदार होते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा; और

जबकि 15 फरवरी, 2017 को नगर को एक अटर्नी केविन शेंकमैन से यह दावा करते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ कि व्यापक चुनाव प्रणाली कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम (California Voting Rights Act) का उल्लंघन करती है और उन्होंने नगर द्वारा ज़िला-वार चुनाव अपनाने से इंकार किए जाने पर मुकदमा करने की धमकी दी; और

जबकि पत्र में उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं था परंतु कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम के तहत किसी दावे के विरुद्ध बचाव करने की लागत काफी अधिक है; और

जबकि 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा (California Government Code Section) 34886 में निम्नलिखित प्रावधान है:

धारा 34871 अथवा किसी अन्य कानून के के प्रावधानों के बावजूद किसी नगर का विधायी निकाय किसी ऐसे अध्यादेश (ordinance) को अपना सकता है जिसमें विधायी निकाय के सदस्यों का चुनाव ज़िला-वार अथवा एक चुने गए मेयर के साथ ज़िला-वार किया जाना हो, जैसा कि धारा 34871 के उपबंधों (a) और (c) में उल्लिखित है और इसके लिए अध्यादेश को मतदाताओं के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। इस धारा के अनुसरण में अपनाए गए अध्यादेश में एक घोषणा शामिल होगी कि विधायी निकाय के सदस्यों के चुनाव की पद्धति में परिवर्तन 2001 के कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम (चुनाव संहिता के खंड 14 के अध्याय 1.5 (धारा 14025 से लागू होते हुए) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है; और

जबकि कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34871 (c) में छह ज़िलों में एक निर्वाचित मेयर के साथ ज़िला-वार एक नगर के विधायी निकाय के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है; और

जबकि 21 मार्च, 2017 को आयोजित नियमित बैठक में नगर परिषद ने चुनाव संहिता धारा 10010 के अनुसरण में एक ज़िला-वार प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक संकल्प (resolution) अपनाया; और

जबकि कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34886 के अनुसरण में यह घोषणा की गई है कि इस अध्यादेश द्वारा फ्रीमोंट नगर की नगर परिषद के सदस्यों के चुनाव की पद्धति में परिवर्तन कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 14031 में दिए गए कैलीफोर्निया संविधान के अनुच्छेद (Article) I की धारा 7 और अनुच्छेद II की धारा 2 की गारंटियों को लागू करने के लिए किया गया है, और

जबकि कैलीफोर्निया चुनाव संहिता धारा 10010 के प्रावधानों के तहत व्यापक चुनाव पद्धति से ज़िला-वार चुनाव पद्धति में परिवर्तन करने के राजनैतिक उप-विभाजन के लिए तीस दिन के अंदर कम से कम दो जन सुनवाइयां आयोजित की जानी होंगी जिनमें जनता को ज़िलों की प्रस्तावित सीमाओं के नक्शा अथवा नक्शाों का प्रारूप तैयार करने से पहले ज़िलों के संघटन के संबंध में सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया जाता है; और

जबकि ज़िलों की प्रस्तावित सीमाओं के नक्शा बनाए जाने से पहले नगर परिषद ने 4 अप्रैल, 2017 और 18 अप्रैल, 2017 को जन सुनवाइयां आयोजित की थीं जिनमें प्रस्तावित ज़िला सीमाओं के संबंध में जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए थे और इन्हें सुना गया था; और

जबकि 18 अप्रैल, 2017 को जन सुनवाई में नगर परिषद ने अपने जनसांख्यिकीय परामर्शदाता को छह परिषद ज़िलों सहित पुन:ज़िला-निर्धारण योजना विकल्प तैयार करने के लिए निर्देश दिया; और

जबकि 27 अप्रैल, 2017 को कैलीफोर्निया चुनाव संहिता धारा 10010 के प्रावधानों के अनुसार नगर ने सभी विचाराधीन नक्शाोें के प्रारूप प्रकाशित किए और जारी करने के लिए उपलब्ध कराए; और

जबकि चुनावों का संभावित क्रम भी प्रकाशित किया गया; और

जबकि कैलीफोर्निया चुनाव संहिता धारा 10010 के प्रावधानों के अनुसार नगर ने 45 दिन की अवधि के अंदर अतिरिक्त सुनवाइयां आयोजित कीं, पहली 2 मई, 2017 को, दूसरी 16 मई, 2017 को और तीसरी 6 जून, 2017 को, जिनमें जनता को नक्शाोें के प्रारूप की सामग्री और चुनावों के संभावित क्रम के संबंध में सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया; और

जबकि इस अध्यादेश का उद्देश्य कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34886 के अनुसरण में एक अध्यादेश अधिनियमित (enact) करना है जिसमें फ्रीमोंट नगर में एक अलग से निर्वाचित मेयर के पद को बनाए रखते हुए छह एकल-सदस्य ज़िलों में ज़िला-वार नगर परिषद के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है, जैसा कि इस अध्यादेश के परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है और फ्रीमोंट नगरपालिका संहिता अध्याय 2.05 में अनुरूपी तथा तकनीकी परिवर्तन करने का प्रावधान है।

अब इसलिए फ्रीमोंट नगर की नगर परिषद निम्नानुसार आदेश पारित करती है:

<u>अनुभाग 1.</u> FMC अध्याय 2.05, संशोधित

फ्रीमोंट नगरपालिका संहिता के अध्याय 2.05 को निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाता है:

अध्याय 2.05

नगर परिषद और मेयर

धाराएं:

2.05.010. परिषद की नियमित बैठकों का समय – परिषद के मध्य अवकाश।
2.05.020. आरक्षित 2.05.030. परिषद की बैठकों का स्थान।
2.05.040. नियमित रूप से निर्धारित अध्ययन के सत्रों का स्थान।
2.05.050. परिषद की विशेष बैठकें।
2.05.060. मेयर और परिषद के सदस्यों की क्षतिपूर्ति।
2.05.070. क्षतिपूर्ति।
2.05.080. नगर परिषद के पदों को भरने के लिए आम नगरपालिका चुनाव की तारीख।
2.05.090. परिषद की रिक्तियों को भरना।
2.05.100. कार्यकाल की सीमाएं।

2.05.110 मेयर और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल।
2.05.120 छह नगर परिषद सदस्यों के लिए ज़िला-वार निर्वाचन प्रणाली
2.05.130 नगर परिषद निर्वाचन ज़िलों की स्थापना।
2.05.140 ज़िला-वार निर्वाचित परिषद सदस्यों के लिए चुनाव की समय-सारणी।

धारा. 2.05.010 परिषद की नियमित बैठकों का समय – परिषद के मध्य अवकाश।

नगर परिषद की नियमित बैठकें महीने के पहले तीन मंगलवार को शाम 7:00 बजे आयोजित की जाएगी; बशर्ते कि जब भी बैठक का यह समय सार्वजनिक अवकाश के दिन होगा उस दिन कोई नियमित बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, परंतु अगले कार्य दिवस पर आयोजित की जाएगी जैसा कि नगर परिषद द्वारा विनिर्धारित किया गया है यह अगली नियमित बैठक से पहले स्थगित नियमित बैठक के रूप में आयोजित की जाएगी। अगस्त के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे मंगलवार और दिसंबर के चौथे मंगलवार को परिषद का अवकाश होगा।

धारा. 2.05.020 आरक्षित

धारा. 2.05.030 परिषद की बैठकों का स्थान।

परिषद की सभी नियमित बैठकें फ्रीमोंट सिटी हॉल, 3300 कैपिटल एवेन्यू, फ्रीमोंट कैलीफोर्निया में नगर परिषद चैम्बर में आयोजित की जाएंगी।

धारा. 2.05.040 नियमित रूप से निर्धारित अध्ययन के सत्रों का स्थान।

नियमित रूप से निर्धारित अध्ययन सत्र फ्रीमोंट सिटी हॉल, 3300 कैपिटल एवेन्यू, फ्रीमोंट कैलीफोर्निया में नगर परिषद चैम्बर में आयोजित किए जाएंगे।

धारा. 2.05.050 परिषद की विशेष बैठकें।

किसी भी समय चार नगर परिषद सदस्य अथवा मेयर अथवा उसकी नगर से अनुपस्थिति अथवा आने में असमर्थता पर अस्थायी मेयर प्रत्येक नगर परिषद सदस्य को लिखित नोटिस देकर और सामान्य परिचालन वाले प्रत्येक स्थानीय समाचार-पत्र, रेडियो अथवा टेलीविजन पर लिखित में नोटिस जारी करने का अनुरोध करते हुए और नगर की वेबसाइट पर नोटिस पोस्ट करके एक विशेष बैठक बुला सकता है। ऐसा नोटिस इसमें विनिर्धारित ऐसी बैठक के समय से कम से कम 24 घंटे पहले व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अन्य माध्यम से अवश्य पहुंचाया जाना चाहिए। हर समय प्रत्येक नगर परिषद सदस्य का एक ऐसा पता नगर क्लर्क की फाइल में होगा जिस पर उपर्युक्त के अनुपालन में ऐसे नोटिस भेजे जा सकें।

कॉल तथा नोटिस में विशेष बैठक का समय तथा स्थान और किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा दिया जाएगा। परिषद द्वारा ऐसी बैठकों में किसी अन्य कार्य पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि बैठक के समय अथवा इससे पहले कोई नगर परिषद सदस्य नगर क्लर्क को लिखित में नोटिस में छूट देने हेतु आवेदन करता है, तो लिखित नोटिस में छूट दी जा सकती है। यह छूट टेलीग्राम द्वारा दी जा सकती है। बैठक आयोजित किए जाते समय यदि कोई सदस्य वास्तव में उपस्थित है, तो भी लिखित नोटिस छोड़ा जा सकता है। सभी विशेष बैठकें उसी स्थान पर आयोजित की जाएंगी जो कि परिषद की नियमित बैठकें आयोजित करने संबंधी अध्याय में दिया गया है और ऐसे समय पर आयोजित की जाएंगी जो कि नोटिस तथा कॉल में बताया गया है।

धारा. 2.05.060 मेयर और परिषद के सदस्यों की क्षतिपूर्ति।

(क) मेयर के अतिरिक्त परिषद के प्रत्येक सदस्य को $2,118.89 प्रति माह का वेतन प्राप्त होगा।

(ख) मेयर को $3,764.52 प्रति माह का वेतन प्राप्त होगा।

(ग) प्रत्येक बजट चक्र में क्षतिपूर्ति (compensation) में बढ़ोतरी की समीक्षा की जाएगी और सेन फ्रांसिस्को-ऑकलैंड-सेन होज़े के सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार बढ़ोतरी पर विचार किया जाएगा जो कि चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। नगर परिषद के सदस्यों के वेतन में बढ़ोतरी ऐसी बढ़ोतरी को प्राधिकृत करने वाले एक अध्यादेश को अपनाने के बाद नई परिषद का कार्यकाल शुरू होने से ही प्रभावी होगी। मेयर की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति (वह राशि जो नगर परिषद सदस्य के वेतन से अधिक है) में बढ़ोतरी इस बढ़ोतरी को अपनाने संबंधी अध्यादेश में निर्धारित किए गए अनुसार प्रभावी होगी।

धारा. 2.05.070 क्षतिपूर्ति।

धारा 2.05.060 में परिषद के सदस्यों के लिए निर्धारित वेतन परिषद के प्रत्येक सदस्य को नगर के लिए अपने कार्यालयी कर्तव्यों के निष्पादन में उनके द्वारा किए गए वास्तविक तथा आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त है और होगा।

धारा. 2.05.080 नगर परिषद के पदों को भरने के लिए आम नगरपालिका चुनाव की तारीख।

कैलीफोर्निया सरकार की संहिता §36503 के अनुसरण में फ्रीमोंट नगर के आम नगरपालिका चुनाव उसी दिन होंगे जिस दिन पूरे राज्य में आम चुनाव होंगे, जैसा कि कैलीफोर्निया चुनाव की इस संहिता में दिया गया है: संहिता §1301.

संपादक की टिप्पणी: धारा 2.05.080 को मूल रूप से फ्रीमोंट नगर के मतदाताओं द्वारा आम नगरपालिका चुनाव की तारीख को सम-संख्या के वर्षों में अप्रैल से विषम-संख्या के वर्षों में नवंबर में बदलने के लिए अप्रैल, 1982 में किए गए सलाहकारी मतदान के बाद अध्यादेश संख्या 1500 द्वारा अपनाया गया था (इस प्रावधान के तहत पहला चुनाव नवंबर, 1983 में और अंतिम चुनाव नवंबर, 1991 में आयोजित किया गया था)। धारा 2.05.080 को फ्रीमोंट नगर के मतदाताओं के अनुमोदन के अधीन अध्यादेश संख्या 1977 द्वारा संशोधन किया गया और नवंबर 1991 में मतदाताओं द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया जिसमें एक बाध्यकारी गैर-सलाहकारी उपाय पर मतदान करते हुए आम नगरपालिका चुनाव की तारीख को विषम-संख्या के वर्षों में नवंबर से बदल कर पूरे राज्य में आम चुनाव के दिन किया गया जो कि कैलीफोर्निया चुनाव संहिता §1301 के अनुसरण में, प्रत्येक सम-संख्या वाले वर्ष में नवंबर में पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार को आयोजित की जाती है (इस प्रावधान के तहत पहला चुनाव नवंबर 1994 में निर्धारित किया गया)। अध्यादेश संख्या 1977 में आम नगरपालिका चुनाव की तारीख को बदलकर पूरे राज्य में आम चुनाव के दिन करने के समर्थन में राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय तथा स्थानीय एजेंसी उम्मीदवारों तथा उपायों के लिए समेकित चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की विशाल संख्या; समेकित चुनावों के लागत लाभ; और आम नगरपालिका चुनावों को कई अन्य स्थानीय एजेंसियों के शासी बोर्ड के चुनावों के साथ आयोजित करने के सामान्य लाभ, जिनमें वही अथवा लगभग वही निर्वाचक होते हैं (1991 में इसमें एलामीडा काउंटी वाटर डिस्ट्रिक्ट, फ्रीमोंट यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट, फ्रीमोंट-नेवार्क (ओहलोन) कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, और वाशिंगटन टाउनशिप हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट शामिल थे), सहित कई निष्कर्ष प्रस्तुत किए।

धारा. 2.05.090 परिषद की रिक्तियों को भरना।

(ख) यदि परिषद सदस्य कार्यालय में कोई रिक्ति होती है तो नगर परिषद रिक्ति होने के 60 दिन के अंदर रिक्ति को नियुक्ति से भरेगी अथवा रिक्ति भरने के लिए विशेष चुनाव करवाएगी। यदि परिषद इस रिक्ति को नियुक्ति से भरती है तो नियुक्त व्यक्ति उस परिषद ज़िले में रहेगा जहां रिक्ति हुई है और कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 36512(b)(2) में निर्धारित किए गए अनुसार कार्य करेगा।

(ख) यदि किसी नगर परिषद सदस्य के कार्यालय में पदत्याग के कारण रिक्ति हुई है तो त्यागपत्र देने वाला नगर परिषद सदस्य कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 36512(e) में दी गई सीमाओं के अधीन नियुक्ति के लिए तब मतदान कर सकता है यदि त्यागपत्र उत्तरवर्ती (successor) की नियुक्ति पर प्रभावी होता है।

(ग) यदि मेयर का पद रिक्त होता है तो परिषद कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34902 के अनुसार नियुक्ति द्वारा रिक्ति भरेगी। यदि परिषद इस पद को 60 दिन के अंदर नहीं भर पाती, तो इसके बाद कम से कम 114 दिन के बाद किसी तारीख को होने वाले अगले चुनाव की निर्धारित तारीख को रिक्ति भरने के लिए परिषद चुनाव करवाएगी। किसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त अथवा निर्वाचित व्यक्ति पूर्व पदधारी के शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा।

(घ) यदि परिषद विशेष चुनाव करवाती है, तो विशेष चुनाव इनके घोषित किए जाने के कम से कम

114 दिन बाद अगले चुनाव की निर्धारित तारीख को आयोजित किए जाएंगे। किसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति उस परिषद ज़िले में रहेगा जहां रिक्ति हुई है और पूर्व पदधारी के शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा।

धारा. 2.05.100 कार्यकाल की सीमाएं।

(क) कोई मेयर जो लगातार आठ वर्ष तक मेयर के पद पर रह चुका है, इस पद के लिए तब पात्र नहीं होगा यदि उसने इस पद पर सेवारत रहते हुए कम से कम चार वर्ष का सेवा अंतराल न किया हो।

(ख) कोई परिषद सदस्य जो लगातार आठ वर्ष तक परिषद सदस्य के पद पर रह चुका है, वह इस पद के लिए आगामी सेवा के लिए तब पात्र नहीं होगा यदि उसने इस पद पर सेवारत रहते हुए कम से कम चार वर्ष का सेवा अंतराल न किया हो।

(ग) इस धारा के तहत अपात्र होने के कारण किसी व्यक्ति, जो मेयर के रूप में सेवा करने के लिए अपात्र है उस पर परिषद सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अथवा एक व्यक्ति जो परिषद सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अपात्र है उस पर मेयर के रूप में सेवा करने के लिए कोई रोक नहीं होगी। फिर भी, यदि किसी व्यक्ति ने मेयर और परिषद सदस्य के पद पर लगातार 16 वर्ष की सेवा की है, तो वह दोनों पदों पर आगामी सेवा करने के लिए तब अपात्र होगा यदि उसने दोनों पदों पर कम से कम चार वर्ष का सेवा अंतराल न किया हो।

(घ) पूर्ण कार्यकाल से कम समय के लिए पद पर रहने के समय को पद पर लगातार वर्षों की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

(ड.)इस धारा के अधिनियमन से पहले पद पर रहने के समय को पद पर रहने के लगातार वर्षों की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

(च) सेवा के वर्षों की गणना करते समय पूर्ण चार वर्ष का कार्यकाल चार वर्ष की सेवा माना जाएगा चाहे ऐसे कार्यकाल की अवधि ठीक चार वर्ष न हो।

धारा. 2.05.110 मेयर और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल।

मेयर और प्रत्येक परिषद सदस्य के लिए कार्यकाल चार वर्ष होगा।

धारा. 2.05.120 छह नगर परिषद सदस्यों के लिए ज़िला-वार निर्वाचन प्रणाली

(क) कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34886 और 34871(c) के अनुसरण में छह (6) एकल-सदस्य ज़िलों में परिषद सदस्य ज़िला-वार निर्वाचित होंगे। मेयर का चुनाव नगरव्यापी मतदान द्वारा अलग से किया जाएगा।

(1) नवंबर 2018 में आम नगरपालिका चुनावों से शुरू करते हुए परिषद सदस्यों का चुनाव धारा 2.05.130 द्वारा स्थापित और राज्य के कानून के प्रावधानों के अनुसार बाद में समायोजित निर्वाचन ज़िलों में किया जाएगा। चुनाव कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34871 में निर्धारित कार्यकाल के अनुसार ज़िला-वार आधार पर किए जाएंगे; अर्थात मेयर को छोड़कर, जिसका चुनाव पूरे नगर द्वारा मतदान से किया जाएगा, प्रत्येक ज़िले से केवल उसी ज़िले के निर्वाचकों द्वारा नगर परिषद के एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। धारा 2.05.110 के अनुसार और धारा 2.05.140(b) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर मेयर सहित प्रत्येक परिषद सदस्य चार-वर्ष के कार्यकाल तक सेवारत रहेगा यदि उसका उत्तरवर्ती पात्र नहीं हो गया है।

(2) उप धारा (b)(3) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर एक ज़िले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए परिषद सदस्य को उस ज़िले का निवासी अवश्य होना चाहिए और उस ज़िले का एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और नगर परिषद के लिए किसी भी उम्मीदवार को उस ज़िले का निवासी अवश्य होना चाहिए और उस ज़िले में एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिस ज़िले में वह कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34882 और चुनाव संहिता धारा 10227 के अनुसरण में नामांकन पत्र जारी किए जाने के समय चुनाव लड़ना चाहता है। किसी परिषद सदस्य द्वारा किसी ज़िले में निवास छोड़ने से उस परिषद ज़िले के लिए अविलम्ब रिक्ति तब सृजित हो जाएगी यदि निवास छोड़ने के 30 दिन के अंदर उस ज़िले में कोई वैकल्पिक निवास स्थापित नहीं होता।

(3) इस धारा में दिए गए किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद इस प्रावधान के प्रभावी होने के समय कार्यरत परिषद सदस्य पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता जिसके लिए उन्हें चुना गया था और जब तक उनका उत्तरवर्ती पात्र नहीं हो जाता। धारा 2.05.090 के बावजूद, व्यापक चुनाव द्वारा चुने गए परिषद सदस्य के पद पर रिक्ति को पूरे नगर द्वारा मतदान से भरा जाए। धारा 2.05.130 में स्थापित ज़िलों में और धारा 2.05.140 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक परिषद सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने पर ज़िला-वार आधार पर उस सदस्य के उत्तरवर्ती का चुनाव किया जाएगा। ज़िला-वार आधार पर चुने गए परिषद सदस्य के कार्यालय में रिक्ति ऐसे व्यक्ति से भरी जाएगी जो उस पद के लिए पात्र हो और जो

उस ज़िले का निवासी हो।

धारा 2.05.130 नगर परिषद चुनाव ज़िलों की स्थापना।

(क) धारा 2.05.120(b)(3) के तहत, परिषद ज़िलों से निम्नांकित अनुसार परिषद के सदस्य एक "ज़िला-आधारित" के आधार पर चुने जाएंगे:

ज़िला 1:

फ्रीमोंट शहर के भीतर, सारी भूमि जो, कैलिफ़ोर्निया स्टेट हाईवे 84 के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित है, जिसे डिकोटो रोड के रूप में भी जाना जाता है।

ज़िला 2:

फ्रीमोंट शहर की निम्नलिखित सीमा के भीतर का वह सारा भाग जो निम्नांकित अनुसार वर्णित हैं:

कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे 84 के चौराहे, जिसे डिकोटो रोड के रूप में भी जाना जाता है, से शुरु होकर और इंटरस्टेट 880, बताया गया प्वाइंट सिटी ऑफ नेवार्क की सबसे उत्तरी सीमा तक; और वहां से उत्तर पूर्वी दिशा में डिकोटो रोड के साथ-साथ ऐलामीडा क्रीक के चौराहे तक, और यह वर्णित क्रीक जो यूनियन सिटी और फ्रीमोंट के बीच की सीमा है; वहां से कही गई उत्तर पूर्वी दिशा के साथ-साथ यूनियन पैसीफिक रेलरोड के चौराहे तक; वहां से कही गई लाइन के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में ऐलामीडा क्रीक तक; वहां से कही गई क्रीक की दक्षिण पश्चिम दिशा के साथ-साथ एप्पल ट्री कोर्ट की प्रोजेक्शन तक; वहां से एप्पल ट्री कोर्ट की दक्षिण दिशा के साथ-साथ रिवर वॉक ड्राइव के चौराहे तक; वहां से रिवरसाइड वॉक के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में पैसियो पाद्रे पार्कवे तक; वहां से पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ दक्षिण दिशा में राजमार्ग 84 के चौराहे तक, जिसे पैरालटा बुलेवार्ड भी कहा जाता है; वहां से पैरालटा बुलेवार्ड के साथ-साथ दक्षिण दिशा में पैरिश एवेन्यू तक; वहां से पेरिश एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में फ्रीमोंट बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से फ्रीमोंट बुलेवार्ड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में एडगर्स ड्राइव के चौराहे तक; वहां से है एडगर्स ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में लोगन ड्राइव के चौराहे तक; वहां से लोगन ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में रिचमंड एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से रिचमंड एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में ब्लाको रोड के चौराहे तक; वहां से ब्लाको रोड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में माउरी एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से माउरी एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में इंटरस्टेट 880 के चौराहे तक; और वहां से इंटरस्टेट 880 के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में शुरुआती प्वाइंट तक।

ज़िला 3:

फ्रीमोंट शहर की निम्नलिखित सीमा के भीतर का वह सारा भाग जो निम्नांकित अनुसार वर्णित हैं:

सिटी ऑफ नेवार्क के सबसे पूर्वी कोने से शुरू करते हुए, वर्णित प्वाइंट इंटरस्टेट 880 और स्टीवनसन बुलेवार्ड का चौराहा है; वहां से स्टीवनसन बुलेवार्ड के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में पैसियो पाद्रे पार्कवे के चौराहे तक; वहां से पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में वॉलनट एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से वॉलनट एवेन्यू के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में सिविक सेंटर ड्राइव के चौराहे तक; वहां से सिविक सेंटर ड्राइव के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में माउरी एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से माउरी एवेन्यू के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में स्टेट हाईवे 238, जिसे मिशन बुलेवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, के चौराहे तक; वहां से मिशन बुलेवार्ड के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में यूनियन पैसीफिक रेल रोड के चौराहे तक; वहां से यूनियन पैसीफिक रेल रोड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में ऐलामीडा क्रिक तक; वहां से कही गई क्रीक के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में एप्पलट्री कोर्ट की प्रोजेक्शन तक; वहां से एप्पलट्री कोर्ट के साथ-साथ दक्षिण दिशा में रिवरवॉक ड्राइव तक; वहां से रिवरवॉक ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में पैसियो पाद्रे पार्कवे के चौराहे तक; वहां से पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ दक्षिण दिशा में हाईवे 84 के चौराहे तक, जिसे पैरालटा बुलेवार्ड भी कहा जाता है; वहां से पैरालटा बुलेवार्ड के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में पैरिश एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से पेरिश एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में फ्रीमोंट बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से फ्रीमोंट बुलेवार्ड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में ऐगर्स ड्राइव के चौराहे तक; वहां से ऐगर्स ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में लोगन ड्राइव के चौराहे तक; वहां से लोगन ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में रिचमंड एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से रिचमंड एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में ब्लाको रोड के चौराहे तक; वहां से ब्लाको रोड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में माउरी एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से माउरी एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में इंटरस्टेट 880 तक; और फिर इंटरस्टेट 880 के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में शुरुआती प्वाइंट तक।

ज़िला 4:

सिटी ऑफ फ्रीमोंट का वह सारा हिस्सा जो इस वर्णित लाइन के उतरी और पूर्वी ओर है।

इंटरस्टेट 680 के चौराहे से सिटी ऑफ फ्रीमोंट की उतरी-पूर्वी सीमा तक; वहां से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में वाशिंगटन बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से पश्चिम दिशा में वॉशिंगटन बुलेवार्ड के साथ-साथ ड्रिसकॉल रोड के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में ड्रिसकॉल रोड के साथ-साथ पैसियो पाद्रे पार्कवे के चौराहे तक; वहां से पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में वॉलनट एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में वॉलनट एवेन्यू के साथ-साथ सिविक सेंटर ड्राइव के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पश्चिमी दिशा में सिविक सेंटर ड्राइव के साथ-साथ माउरी एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में माउरी

एवेन्यू के साथ-साथ स्टेट हाईवे 238, जिसे मिशन बुलेवार्ड भी कहा जाता है, के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पश्चिम दिशा में मिशन बुलेवार्ड के साथ-साथ यूनियन पैसीफिक रेल रोड के चौराहे तक; वहां से दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा में बताई गई रेल रोड लाइन के साथ-साथ सिटी ऑफ फ्रीमोंट की सीमा के चौराहे तक।

जैसा कि इस दस्तावेज में वर्णित है, ज़िला 2 और 5 को छोड़ कर।

ज़िला 5:

सिटी ऑफ फ्रीमोंट का वह सारा हिस्सा जो इस वर्णित लाइन के दक्षिण की ओर स्थित है।

सिटी ऑफ नेवार्क की सबसे उत्तरी सीमा से शुरु होकर और यह वर्णित प्वाइंट जो कि स्टीवनसन बुलेवार्ड और इंटरस्टेट 880 के चौराहे पर है; वहां से दक्षिण-पूर्वी दिशा में इंटरस्टेट 880 के साथ-साथ ऑटो मॉल पार्क के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में ऑटो मॉल पार्कवे के साथ-साथ इंटरस्टेट 680 के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में इंटरस्टेट 680 के साथ-साथ सिटी ऑफ फ्रीमोंट की सीमा के चौराहे तक।

ज़िला 6:

फ्रीमोंट शहर की निम्नलिखित सीमा के भीतर का वह सारा भाग जो निम्नांकित अनुसार वर्णित हैं:

वाशिंगटन बुलेवार्ड और इंटरस्टेट 680 के चौराहे से शुरु होकर; वहां से दक्षिण की दिशा में इंटरस्टेट 680 के साथ-साथ ऑटो मॉल पार्कवे के चौराहे तक, वहां से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में ऑटो मॉल पार्कवे के साथ-साथ इंटरस्टेट 880 के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पश्चिमी दिशा में इंटरस्टेट 880 के साथ-साथ स्टीवनसन बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में स्टीवनसन बुलेवार्ड के साथ-साथ पैसियो पाद्रे पार्कवे के चौराहे तक; वहां से दक्षिण-पूर्वी दिशा में पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ ड्रिसकॉल रोड के चौराहे तक; वहां से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में ड्रिसकॉल रोड के साथ-साथ वाशिंगटन बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से पूर्वी दिशा में वाशिंगटन बुलेवार्ड के साथ-साथ शुरूआती प्वाइंट तक।

(b) उप-विभाजन (a) में निर्दिष्ट परिषद ज़िलों को तब तक जारी रखेगा जब तक कि वे कानून के अनुसार संशोधित या निरस्त नहीं किये जाते।

धारा 2.05.140 ज़िले द्वारा निर्वाचित परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम।

परिषद के सदस्य परिषद ज़िले 1, 2, 3, और 4 में निर्वाचित होंगे, नवंबर 2018 में सामान्य नगरपालिका चुनावों से शुरू होकर, और उसके बाद हर चार साल, धारा 2.05.140(b) में दिए गए के सिवाय और धारा 2.05.100 में दी गई अवधि सीमा के अधीन।

(b) ऊपर वर्णित उपधारा (a) के बावजूद और उपधारा (d) के अधीन ज़िला परिषद 1 से 2018 में चुना गया परिषद का सदस्य दो साल का कार्यकाल पूरा करेगा।

(c) नवंबर 2020 में सामान्य नगरपालिका चुनाव से शुरू करके परिषद ज़िले 5 और 6, और इसके बाद हर चार साल में, धारा 2.05.100 में निर्धारित अवधि सीमा के अधीन, चुनाव किया जाएगा।

(d) 2018 में परिषद ज़िला 1 से चुने गए परिषद के सदस्य, नवंबर 2020 में फिर से चुनाव के अधीन होंगे, और उसके बाद हर चार साल, धारा 2.05.100 में निर्धारित अवधि सीमा के अधीन।

<u>धारा 2.</u> ज़िले का नक्शा

इस अध्यादेश में दिए गए ज़िलों को दर्शाने वाला एक नक्शा यहाँ परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न है और इस संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है। इस अध्याय में संहिताबद्ध किए गए अध्यादेश में और यहाँ शामिल किए गए नक्शे में दिए गए विवरण के बीच विरोधाभास होने पर नक्शे के विवरण को सही माना जाएगा। यदि इस अध्यादेश के लागू करने को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हो, तो शहरी प्रबंधक अथवा उसके द्वारा पदनामित व्यक्ति ज़िले की सीमाओं में तकनीकी समायोजन करने के लिए प्राधिकृत है जो ज़िलों में जनसंख्या को, उम्मीदवारों की पात्रता को, अथवा किसी ज़िले में चुने गए अधिकारियों के निवास को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित न करे। शहरी प्रबंधक आवश्यक समझे जाने वाले किसी तकनीकी समायोजन के संबंध में सिटी के अटर्नी के साथ परामर्श करेगा और नगर परिषद को ज़िलों के लागू करने में आवश्यक ऐसे किसी समायोजन के बारे में सुझाव देगा।

<u>धारा 3</u> CEQA

नगर परिषद यह पाती है कि फ्रीमोंट नगरपालिका संहिता में प्रस्तावित संशोधन कैलीफोर्निया विनियम संहिता (California Code of Regulations), धारा 15061(b)(3) के टाइटल 14 के अनुसरण में कैलीफोर्निया पर्यावरणीय गुणवत्ता अधिनियम (California Environmental Quality Act - CEQA) की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त हैं क्योंकि यह ऐसी परियोजना नहीं है जिससे पर्यावरण पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

<u>अनुभाग 4.</u> लागू होने की तारीख

यह अध्यादेश इसे अपनाए जाने के 30 दिन बाद लागू होगा।

<u>अनुभाग 5.</u> पृथक्करणीयता (SEVERABILITY)

यदि इस अध्यादेश की किसी धारा, उपधारा, वाक्य, खंड अथवा वाक्यांश को किसी भी कारण से सक्षम

क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा अवैध करार दिया जाता है तो ऐसा निर्णय इस अध्यादेश के शेष हिस्सों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। बल्कि ऐसी धारा, उपधारा, वाक्य, खंड अथवा वाक्यांश को कैलीफोर्निया विनियम संहिता के टाइटल 24 के संगत प्रावधानों, यदि कोई हो, द्वारा अधिक्रमित अथवा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। फ्रीमोंट नगर परिषद एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि यह इस अध्यादेश की किसी एक अथवा अधिक धाराओं, उपधाराओं, वाक्यों, खंडों और वाक्यांशों को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति के बावजूद इस अध्यादेश और इसकी प्रत्येक धारा अथवा उपधारा, वाक्य, खंड तथा वाक्यांश को पारित करती।

<u>अनुभाग 6.</u> प्रकाशन

यह अध्यादेश कम से कम एक बार एलामीडा काउंटी में मुद्रित तथा प्रकाशित होने वाले और फ्रीमोंट नगर में परिचालित किए जाने वाले सामान्य परिचालन वाले किसी समाचार-पत्र में इसे अपनाए जाने के पंद्रह (15) दिन के अंदर अवश्य प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

* * *

उपर्युक्त अध्यादेश को _____ 2017 के __वें दिन आयोजित नगर परिषद की नियमित बैठक में फ्रीमोंट नगर की नगर परिषद के समक्ष रखा गया था और अंत में _____, 2017 के ___ दिन आयोजित नगर परिषद की नियमित बैठक में निम्नलिखित मत से अपनाया गया:

हाँ वाले:

नहीं वाले:

अनुपस्थित:

अनुपस्थित रहे:

____
मेयर

प्रमाणन:	अनुमोदन से संबंधित:
______________________	______________________
सिटी क्लर्क	सहायक सिटी अटर्नी

स्टॉफ रिपोर्ट (ID # 3128) दस्तावेज़ आईडी: 3128

□□ □□□□-□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ 2.05 □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□:

□□□:	जैसिका वॉन बोर्क (Jessica von Borck)	□□□□ □□□□□□□ (Susan Gauthier)
□□□□□:	□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□/□□□□□□:	□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□
□□□:	510-248-4008	510-284-4076
□-□□□:	jvborck@fremont.gov	sgauthier@fremont.gov

कार्यकारी सारांश: 21 मार्च, 2017 को सिटी ने खुले तौर के चुनावों से ज़िला-आधारित चुनावों में परिवर्तन करने के लिए इरादे का संकल्प लिया। चुनाव संहिता की धारा 10010 के अनुसार सिटी को कानून में विनिर्धारित समयावधि के अंदर पांच (5) जन सुनवाईयाँ करनी होंगी। 2 मई, 2017 को जन सुनवाई में परिषद ने एक और सुनवाई करने का निर्णय लिया पहली पांच (5) जन सुनवाईयाँ पूरी हो चुकी हैं और परिषद तथा समुदाय को ज़िलों के संघटन और संभावित चुनाव क्रम के संबंध में चर्चा करने की अनुमति मिल गई है। 6 जून को हुई सुनवाई आवश्यक पाँचवीं जन सुनवाई थी जहाँ परिषद ने नक्शे C2-b को एक पसंदीदा प्रारूप के रूप में चुना और ज़िला-आधारित चुनाव स्थापित करने और फ्रीमॉन्ट नगर कोड के अध्याय 2.05 में अन्य तकनीकी और अनुरूप परिवर्तन करने के लिए एक अध्यादेश का परिचय दिया। छठी और अंतिम सार्वजनिक सुनवाई पर, अध्यादेश अब अपनाये जाने के लिए परिषद के सामने है।

□□□□□□□□ □□□□□□:

- मसौदा अध्यादेश - ज़िला आधारित चुनाव और संशोधन

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□